भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3780

दिनांक 21.12.2021/ 30 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

कर्नाटक और केरल सीमा पर प्रतिबंध

†3780. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केरल के मंजेश्वरम और कासरगोड तालुकों के लोगों को केरल-कर्नाटक सीमा पर थलप्पाडी में कोविड महामारी और अब ओमिक्रॉन कोविड-19 फैलने के नाम पर कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में राज्य की सीमाओं के बारे में केंद्र सरकार की नितियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पूर्व में और आजकल इस तरह की नीतियों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि कर्नाटक चिकित्सा, शैक्षिक व्यापार और रोजगार के प्रयोजनों हेतु कर्नाटक के मैंगलोर शहर के निवासियों को आवाजाही की स्वतंत्रता से वंचित कर रहा है;

(ङ) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केरल के लोगों की दुर्दशा पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केरल राज्य की सीमाओं में यात्रा पर अनुमेय छूट देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, थलप्पाडी में केरल-कर्नाटक सीमा पर मंजेश्वरम और कासरगोड तालुकों के लोगों सहित केरल के लोगों के लिए यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रकार की छूटों के साथ बाहर से कर्नाटक आने वाले व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई थी।

लोक सभा अता. प्र.सं.3780, दिनांक 21.12.2021

गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यक्तियों और सामान की अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गृह मंत्रालय ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस आशय की एडवाइजरी जारी की हैं कि वे इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और अंतर-राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध न लगाएं।

****